# वीईई ईएसएस कैपफिन प्राइवेट लिमिटेड

# ब्याज दर नीति

## 1. पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीएनबीएस/पीडी/सीसी संख्या 95/03.05.002/2006-07 दिनांक 24 मई, 2007 के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ("एनबीएफसी") के बोर्डों को ब्याज दरों, प्रसंस्करण और अन्य शुल्कों के निर्धारण में उचित आंतरिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की सलाह दी थी।

इसके अतिरिक्त, परिपत्र डीएनबीएस (पीडी)सी.सी. संख्या 133/03.10.001/2008-09 दिनांक 2 जनवरी, 2009 के माध्यम से... आरबीआई ने

आगे मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) डायरेक्शन, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 जारी किया है, जो समय-समय पर संशोधित होने के साथ-साथ अन्य बातों के अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी - बेस लेयर) (एनबीएफसी-बीएल) पर लागू होता है, और जिसमें सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले निष्पक्ष व्यवहार संहिता की आवश्यकताएं शामिल हैं।

उपरोक्त आरबीआई दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आंतरिक मार्गदर्शक सिद्धांत और ब्याज दर मॉडल निर्धारित किए गए हैं। इस नीति को हमेशा आरबीआई के दिशानिर्देशों, निर्देशों, परिपत्रों और आदेशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
ब्याज दरों, प्रसंस्करण और अन्य शुल्कों को निर्धारित करने के लिए कंपनी की नीति इस प्रकार है:

## 2. ब्याज दर मॉडल

i. प्रत्येक ऋण उत्पाद के लिए ब्याज दर और प्रतिफल का निर्धारण परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

ii. ब्याज दर उधार ली गई निधि की लागत, मिलान अवधि की लागत, बाजार तरलता, पुनर्वित्त के विकल्प, प्रतिस्पर्धियों द्वारा दी जाने वाली पेशकशें, ग्राहक संबंध की अवधि और संवितरण की लागत (निधि की लागत) के आधार पर निर्धारित की जाएगी। निधि की लागत के अतिरिक्त, ब्याज दर का निर्धारण उत्पादों और ग्राहक से संबंधित अंतर्निहित ऋण और चूक जोखिम के आधार पर किया जाएगा, जो ग्राहक वर्ग, ग्राहक प्रोफ़ाइल, व्यावसायिक योग्यता, आय और रोजगार में स्थिरता, पुनर्भुगतान क्षमता, समग्र ग्राहक उपज, जोखिम प्रीमियम, प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों की प्रकृति और मूल्य, ग्राहकों के पिछले पुनर्भुगतान रिकॉर्ड, ग्राहकों की बाहरी रेटिंग, उद्योग के रुझान आदि से उत्पन्न होता है।

iii. कंपनी एक ब्याज दर मॉडल अपना सकती है जिसके तहत समान उत्पाद और समान अवधि के लिए ब्याज दर ग्राहक के अनुसार भिन्न हो सकती है, जो ऊपर बिंदु (ख) में सूचीबद्ध कुछ या सभी कारकों के विचार पर निर्भर करती है। इसलिए, लागू ब्याज दर प्रत्येक ग्राहक के ऋण पर भिन्न होगी।

iv. वार्षिक ब्याज दर की सूचना ग्राहक को दी जाएगी। ब्याज दरें निश्चित, अस्थिर और परिवर्तनीय आधार पर उपलब्ध होंगी। फ्लोटिंग दरों के लिए प्राइम लेंडिंग रेट की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाएगी। फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, ब्याज दर की समीक्षा और निर्धारण तिमाही आधार पर किया जाएगा। ब्याज दर की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और मासिक आधार पर या ऐसे अन्य आधार पर प्रभारित की जाएगी जैसा कि अधिकार प्राप्त समिति लागू नियमों और विनियमों के अनुसार तय करती है।

v. ऋण स्वीकृत होने/ऋण प्राप्त करने के समय ग्राहकों को ब्याज दरों की जानकारी दी जाएगी और ब्याज और मूलधन के लिए समान किस्तों का विवरण ग्राहक को उपलब्ध कराया जाएगा।

vi. ब्याज दरों में परिवर्तन भविष्य में प्रभावी होंगे और ब्याज दर में किसी भी परिवर्तन या अन्य शुल्कों की सूचना ग्राहकों को दी जाएगी।

vii. यदि आवश्यक समझा जाए, तो कंपनी ब्याज भुगतान और मूलधन की वापसी के लिए उचित मूल्य निर्धारण के साथ आवश्यक स्थगन पर विचार कर सकती है।

viii. किस्तों में भुगतान के मामले में, ब्याज दर की समीक्षा की जाएगी और यह भुगतान के समय प्रचलित दर के अनुसार या कंपनी द्वारा तय की गई दर के अनुसार भिन्न हो सकती है।

ix. प्रमुख उधार दर, ब्याज दरें और अन्य लागू शुल्क कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और समय-समय पर अपडेट किए जाएंगे।

## 3. प्रसंस्करण/दस्तावेज़ीकरण और अन्य शुल्क

सभी प्रोसेसिंग/दस्तावेज़ीकरण और अन्य शुल्क ऋण दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे। ये शुल्क ऋण उत्पाद, ऋण सीमा, ग्राहक वर्ग, भौगोलिक स्थान के आधार पर भिन्न हो सकते हैं और आमतौर पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने में लगने वाली लागत को दर्शाते हैं। शुल्क तय करते समय बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।

## 4. अन्य

ब्याज दर मॉडल, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) और लागू होने वाले अन्य शुल्कों की एएलएम समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी।